

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,मैनपुरी
पत्रांक 60 / 14-1 दिनांक:मैनपुरी:जुलाई 07, 2018

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मैनपुरी ।

विषय:- मैनपुरी में शिकोहाबाद- भोगौव मार्ग (एस0एच0-84) किमी0 चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास लम्वाई 6.56 किमी0 कुल 25.66 किमी0 लम्वाई में 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पं0 37 / मैनपुरी / 25364 / 2017 दिनांक 05-07-2018

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में दिनांक 04-07-2018 को क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में की गई कार्यवाही के सापेक्ष में सूचनाये एवं अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये है । अतः आप अतिशीघ्र वॉछित सूचनाये एवं अभिलेख 05 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे उक्त सूचनाओं को उच्च स्तर को शीघ्र प्रेषित किया जा सकें ।

संलग्नक:- सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

पत्रांक 60 / दिनांकित

- 1- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी